

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/स्था.-पद. 04-02/2018...../ राँची, दिनांक :

—: आदेश :—

दिनांक 31.07.2019 को जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के स्थानान्तरण-पदस्थापन निमित्त सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्न वर्णित कनीय अभियंताओं को स्तम्भ-03 में वर्णित पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित करते हुए/सेवा वापस लेते हुए उनकी सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित परिक्षेत्र/निदेशालय/विभाग में सौंपी जाती है साथ ही आवश्यकतानुसार एवं अभ्यावेदन के आलोक में पूर्व के निर्गत आदेश सं०-2432 दिनांक-30.07.2019 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ आई.डी./गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित प्रक्षेत्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राहुल कुमार/ गया / 16.07.1995	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र०-129 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
2.	श्री उदय कुमार/ पलामू / 25.06.91	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	ग्रामीण विकास विभाग	अभ्यावेदन के आधार पर
3.	श्री संजय/ 07.02.91	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	मुख्य अभियंता, सु० ब० परि० ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर	अभ्यावेदन के आधार पर
4.	श्री अरुण कुमार सिन्हा /	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-04, घाटशिला	ग्रामीण विकास विभाग	अभ्यावेदन के आधार पर
5.	श्री संजय कुमार सिंह/ जे०-8870/रोहतास / 24.01.1962	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र०-8 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।
6.	श्री बलराम सिंह/ जे० सी०-9117/औरंगाबाद / 06.01.1965	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गिरिडीह	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र०-9 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।
7.	श्री महेन्द्र महतो / रामगढ़ / 16.08.1976	ग्रामीण विकास विभाग	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र०-64 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।
8.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव / जे० 8157/पू० चंपारण / 07.01.1963	ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
9.	श्री जितेन्द्र नाथ सिंह/ जे० 8786/आजमगढ़ / 04.01.1964	नगर विकास विभाग	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
10.	श्री पंकु कुमार शर्मा / कोडरमा / 01.04.1995	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
11.	श्री अंजनी कुमार/ जे०-8540/जहानाबाद / 05.01.60	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12, मानगो जमशेदपुर	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र०-12 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।

12.	श्री एजाज अहमद / जे० सी०-0022/रामगढ़ / 06.05.79 /	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	ग्रामीण विकास विभाग	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-174 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
13.	श्री समीर आसिफ कुरैशी /	नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, दुमका	अभ्यावेदन के आधार पर
14.	श्री शिव शंकर सिंह / जे०-8445/रोहतास/08.01.60	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12, मानगो जमशेदपुर	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-13 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।
15.	श्री मनीष कुमार तिवारी /	जल पथ प्रमंडल, बरही	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग देवघर	
16.	श्री मुकेश कुमार जेसी 67/हजारीबाग/26.12.76	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं.-02, गढ़वा	नगर विकास विभाग (नगर परिषद, रामगढ़ हेतु)	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-50 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
17.	श्री रोहित कुमार / 05.01.89 /	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-77 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
18.	श्री ब्रज बिहारी प्रसाद / जे०-7441/08.09.1961/ नालंदा	रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची	नगर विकास विभाग	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-134 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
19.	श्री राजेश कुमार / जे० सी०-0039/ पलामू/16.03.1980	सिंचाई प्रमंडल, बूझू	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-1 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
20.	श्री रामलखन सिंह /	ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
21.	श्री विनय कृष्ण /	जलपथ प्रमंडल, खूँटी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
22.	श्री यदुनंदन प्रसाद / जे०-7857/गया/25.11.59	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-07, गालूडीह	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
23.	श्री धनेश कुमार पाण्डेय / जे०-8935/देवरिया (उ०प्र०)/ 30.06.1962	ल० सि० रू० प्र०, राँची	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-25 पर कॉलम 4 को रद्द करते हुए।
24.	श्री विशाल कुमार 18.04.95 /	रूपांकण प्रमंडल सं०-02, मेदिनीनगर	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-175 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
25.	श्री अशोक कुमार / जे०-8828/जहानाबाद / 28.01.64	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग	अभ्यावेदन के आधार पर
26.	श्री बिरेन्द्र नाथ महतो /	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर	मुख्य अभियंता, सु० ब० परि० चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर	अभ्यावेदन के आधार पर
27.	श्री गुलशन मून्डू / जे० सी०-0398/राँची / 25.12.1985	जलपथ प्रमंडल, खूँटी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर

28.	श्री सुधांशु मयंक / नालन्दा / 26.01.1988	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर-महागामा	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
29.	श्री राम पिंगुवा / पश्चिमी सिंहभूम / 20.11.91	सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह, शिविर-देवघर	मुख्य अभियंता, सु० ब० परि० ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-113 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
30.	श्री दशरथ कुमार शर्मा / 12.05.92	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, दुमका	अभ्यावेदन के आधार पर
31.	श्री केदार नाथ सिंह / जे०-7743 / औरंगाबाद / 20.01.1962	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-30 को रद्द करते हुए।
32.	श्री मनौवर आलम / जे० सी०-0267 / गोड्डा / 15.09.81	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो	ग्रामीण विकास विभाग	अभ्यावेदन के आधार पर
33.	श्री दयानन्द प्रसाद	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चांडिल	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-4 को रद्द करते हुए।
34.	श्री सतीश कुमार / जे०-8879 / नालन्दा / 16.10.1964	ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-10 को रद्द करते हुए।
35.	मो० जियाउद्दीन / जे० सी०-0017 / धनबाद / 10.02.1975	तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-35 को रद्द करते हुए।
36.	श्री राजेन्द्र प्रसाद / जे०-9000 / मउ (उ० प्र०) / 20.08.67	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-27 को रद्द करते हुए।
37.	श्री छोट राय मार्ली / जे०सी० 0510 / सरायकेला खरसाँवा / 05.06.1975	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट	मुख्य अभियंता, सु० ब० परि० ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर	अभ्यावेदन के आधार पर
38.	श्री श्यामल कुमार /	जलपथ अवर प्र० सं०-01, चैनपुर, शिविर-गुमला	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
39.	श्री उमेश कुमार / जेसी०-0436 / गढ़वा / 20.08.1985	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	अभ्यावेदन के आधार पर
40.	श्री रामजतन सिंह / जे०-8446 / गया / 02.01.1961	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-33 को रद्द करते हुए।
41.	श्री निरंजन कुमार सिंह / जे० सी०-0035 / रोहतास / 15.11.1975	सिंचाई प्रमण्डल जसीडीह, शिविर-देवघर	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, दुमका	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-18 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।
42.	श्री बाबलु दास	सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर	ग्रामीण विकास विभाग	अभ्यावेदन के आधार पर
43.	श्री नेलशन लकड़ा / जे० सी०-0396 / लोहरदगा	सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर
44.	श्री संतोष मुर्मू / जे० सी०-0297 / दुमका / 01.10.1986	जलपथ प्रमंडल सं०-01, चक्रधरपुर	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग देवघर	अभ्यावेदन के आधार पर
45.	श्री अब्दुल अनीस /	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	अभ्यावेदन के आधार पर

6

46.	श्री चन्देश्वर राय/ जे०-8073/07.02.1960	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह	यथावत् बने रहेंगे।	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-24 को रद्द करते हुए।
47.	श्री जयराम सिंह जे 8832/सारण/15.03.60	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परियोजना कार्यान्वयन ईकाई गिरिडीह	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	पूर्व निर्गत आदेश सं.-2432 दि. 30.07.19 के क्र.-85 पर कॉलम 4 को संशोधित करते हुए।

- आदेश सं०-2432 दिनांक-30.07.19 के क्रमांक-02 में अंकित श्री गगन कुमार कालुन्डिया के सहायक अभियंता में प्रोन्नत होने के कारण उक्त कंडिका को विलोपित किया जाता है।
- आदेश सं०-2432 दिनांक-30.07.19 के क्रमांक-78 के स्तम्भ 03 में अंकित पदस्थापन स्थान "जलपथ प्रमंडल, चाईबासा" के स्थान पर "जलपथ अंचल चाईबासा" पढ़ा जाय।
- आदेश सं०-2432 दिनांक-30.07.19 के क्रमांक-171 के स्तम्भ 01 में अंकित "उपेन्द्र नारायण सिंह" के स्थान पर "उपेन्द्र कुमार सिंह" पढ़ा जाय साथ ही स्तम्भ 03 में अंकित पदस्थापन स्थान "जलपथ प्रमंडल सं०-02 चैनपुर" के स्थान पर "जलपथ प्रमंडल सं०-01 चैनपुर, शिविर-गुमला" पढ़ा जाय।
- पूर्व में निर्गत आदेश सं०-1970 दिनांक-14.06.19 एवं 1971 दिनांक-14.06.19 के द्वारा कनीय अभियंताओं के किए गए पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति को स्थापना समिति द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही पूर्व में निर्गत उक्त आदेशों के साथ विभागीय आदेश सं०-3705 दिनांक-01.11.18 द्वारा की गई प्रतिनियुक्ति यथावत् रहेगी।
- स्थानान्तरित सभी कनीय अभियंता आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर पूर्ण प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित स्थान/कार्यालय/विभाग/प्रक्षेत्र में अपना योगदान निश्चित रूप से समर्पित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।
- सभी नियंत्री पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि कार्यहित में यथा सम्भव सभी कनीय अभियंताओं को कार्यकोटि में पदस्थापित करेंगे। विशेष परिस्थिति में अगर अकार्य कोटि में पदस्थापन किया जाता है, तो इसकी सूचना कारणों को स्पष्ट करते हुए विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- सभी मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कनीय अभियंता को ससमय विरमित कराकर नवपदस्थापन स्थान पर योगदान सुनिश्चित करायेंगे एवं एतदसंबंधी प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- आदेश का अनुपालन सख्ती से किया जाय। अवहेलना की स्थिति में विभागीय कार्रवाई जिसमें निलंबन भी शामिल है, की जाएगी।
- सभी स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं का माह अगस्त-2019 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से देय होगा।
- एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश सं०-2432 दिनांक 30.07.19 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

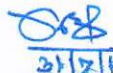
ह०/-

(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2455

राँची, दिनांक :- 31/07/19

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि., राँची/ राज्य के सभी उपायुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/ विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/प्रशाखा 01, 02 एवं 03/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित/प्रेषित।


(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव